संख्या-11/2022/आई/189958/ए084-20222023-001-537-2022

प्रेषक,

मार्कण्डेय शाही,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 14 जुलाई, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक "3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106- भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन-42- अन्य व्यय के अन्तर्गत अवशेष/आगामी माहों(अगस्त, 2022 से मार्च, 2022 तक) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-240/निविमावि-लेखा-7(25)/मांग/2022-23, दिनॉक 14.06.2022 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनॉक 07-06-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत प्राविधानित टोकन धनराशि कुल रू0 1,00,000/-(रू0 एक लाख मात्र) के सापेक्ष, शासनादेश संख्या-08/2022/ए084-20222023-001-242-2022, दिनांक 21-04-2022, जिसके द्वारा माह अप्रैल,2022 से जुलाई, 2022 तक के व्यय हेतु कुल रू0-0.20 लाख(रूपये बीस हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखी गयी है, के अनुक्रम में अवशेष/आगामी माहों हेतु रू0-0.80लाख(रूपये अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) धनराशि का उपयोग स्वीकृत मद में वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों/स्थाई आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्राविधानित धनराशि का उपयोग उक्त योजना अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 80,000.00(रूपये अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक "3475

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(4) यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनॉक 07.06.2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मार्कण्डेय शाही)
विशेष सचिव

संख्या-11/2022/आई/189958(1)/A084-20222023-001-537-2022,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्त्र प्रदेश,प्रयागराज ।
4- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7,वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(तीन प्रतियों में)
8- नोडल अधिकारी, खाद्य एवं रसद /उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग,उ0प्र0 शासन।
9- उ0सं0 एवं बाट माप अनुभाग-3/ खाद्य एवं रसद अनुभाग-3।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।